

25.4.22

पत्तावली पेडा हुई। बकुलाप उपस्थित। बहाने के दौरान
 डाची वकील ने डाचीन पत्र में लिखित तथ्यों को दोहराया
 तथा कथन किया कि डाचीन पत्र में वर्णित भूमि में
 लोबेकर के पिता व दादा का नाम बिकलराम पुत्र
 बीजाराम दर्ज है वही नाम बिकलराम पुत्र
 रामकुव है। नतः लोबेकर के दादा का नाम रामकुव
 रिमाई में बीजाराम के बजाय रामकुव दर्ज किया जावे।
 डाची के पांच रिपोर्ट में लिखित तथ्यों को दोहराया
 तथा कथन किया कि 3LR रिपोर्ट में त्रुटि है कि डाची
 द्वारा चाहा गया अनुतोष क्र. धारा 136 देय नहीं है।
 नतः डाची राज. काब्रकारी दियनिपम की निष्कारित
 धाराओं में वाद लक्ष्य न्यायालय में दाया का अनुतोष
 प्राप्त हो सकता है। नतः डाची का उक्त डाचीन पत्र
 खारिज किया जाना उचित है। पत्तावली को दृष्टानपूर्वक
 प्रबलोकन किया गया एवं बहान पर मतन किया गया।
 डाची का डाचीन पत्र क्र. धारा 136 LR Act के तालिका
 नहीं होने के खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित
 उपाय होता है।

निर्देश

डाची का डाचीन पत्र क्र. धारा 136 L.R. Act लाबित
 नहीं होने के खारिज किया जाता है। पत्तावली केवल
 दुआ (दोका नम्बर) के कम हो तथा दायजिल दर्ज
 हो) α ω δ -

25/4/22

